



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19112025-267830
CG-DL-E-19112025-267830

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5123]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 19, 2025/कार्तिक 28, 1947

No. 5123]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 19, 2025/KARTIKA 28, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2025

(आय-कर)

का.आ. 5294(अ).— केन्द्रीय सरकार, पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम के पैरा 2 के खंड (ड.) के अनुसरण में, और पूर्ववर्ती अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 725(अ), तारीख 22 जून, 1988 तथा सा.का.नि. तारीख 30 नवंबर, 2012 के अनुक्रम में, निम्नलिखित बैंकों की सभी शाखाओं (ग्रामीण शाखाओं को छोड़कर) को, उक्त स्कीम के अधीन निक्षेपों को प्राप्त करने और खातों को बनाए रखने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:

- (i) एचडीएफसी बैंक लिमिटेड,
- (ii) आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड;
- (iii) एक्सिस बैंक लिमिटेड;
- (iv) सिटी यूनिजन बैंक लिमिटेड;

- (v) डीसीबी बैंक लिमिटेड;
- (vi) फेडरल बैंक लिमिटेड;
- (vii) आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड;
- (viii) इंडसइंड बैंक लिमिटेड;
- (ix) जम्मू-कश्मीर बैंक लिमिटेड;
- (x) कर्नाटक बैंक लिमिटेड;
- (xi) करूर वैश्य बैंक लिमिटेड;
- (xii) कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड;
- (xiii) आरबीएल बैंक लिमिटेड;
- (xiv) साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड;
- (xv) यस बैंक लिमिटेड;
- (xvi) धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड;
- (xvii) बंधन बैंक लिमिटेड;
- (xviii) सीएसबी बैंक लिमिटेड; और
- (xix) तमिलनाडु मर्चेन्टाइल बैंक लिमिटेड ।

स्पष्टीकरण: इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, विनिर्दिष्ट बैंक के संबंध में, इसमें ग्रामीण शाखा से ऐसी कोई शाखा अभिप्रेत है जो ऐसे केंद्र में स्थित है और कार्यशील है, जिसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार दस हजार से कम है।

[फा. सं. 162/2025/फा.सं.370142/23/2024-टीपीएल]

कृतिका जैन, अवर सचिव (कर नीति और विधान)